न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— मनोज कुमार मीना आर.ए.एस.
अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 116/2021

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी—चक 17 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. सुखदेव कौर पत्नी शरणजीत कौर जाति जटसिख निवासी—चक 17 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी—चक 17 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री मोहनलाल माहर — — प्रार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर — — अप्राथी 1, 2
3. पैरोकार राज — — अप्रार्थी 3

—:: आदेश ::—

दिनांक :—29.09.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से वाके चक 17 जैड के खाता संख्या 21/18 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13/2, से 25 की 3.099 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का स्थाई पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में दर्ज है। प्रार्थी का मुख्य पेशा कृषि है और कृषि आधारित अपना व अपने परिवार का पालन—पोषण करता हैं। अप्रार्थी खातेदार सुखदेव कौर के नाम वाके चक 17 जैड के खाता संख्या 64/48 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 12 सालम व किला नम्बर 1 3/1 कुल 3.101 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 24 का किला नम्बर 1 ता 5 सरकारी रास्ता चालू है जिसके किला नम्बर 1—10—11 में से प्रस्तावित रास्ता प्रचलित है। मगर स्वीकृत शुदा कोई भी रास्ता नही है और किलेजात के अलावा आने—जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपना कृषि भूमि में आने—जाने हेतु स्वीकृत शुदा रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी ने वाके चक 1 7 जैड के मुरब्बा नम्बर 24 में किला नम्बर 1—10—11 में रास्ते की एवज में मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 15—16—25 में प्रार्थी ने खाला छोड़ रखा है जो मौके पर चालू है। प्रार्थी की प्रश्नगत् कृषि भूमि में आने—जाने हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी मुरब्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:36:02 IST
Reason: SelfAttested

.09.2022
(राजस्व)

नम्बर 24 के अभिलिखित खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 को मौखिक रूप से कहा कि सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत करवा लेवे । इस हेतुक प्रार्थी ने मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 15–16–25 में 0.02–0.02 बिस्वा खाले की जगह छोड़ रखी है और मौके पर खाला भी चालू है। लेकिन आज से 0 5 रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत कराने से स्पष्ट इनकार हो गया। प्रार्थी को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है, गौर तल्लब है कि प्रार्थी के पास कोई भी अन्य स्वीकृत शुदा वैकल्पिक रास्ता भी नही है। इसलिए प्रार्थी वाके चक 17 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर से 15 जैड के चिपते मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1–10–11 में 0.02–0.02 बिस्वा पत्थर लाईन के साथ रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 2 मौजूद न होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 भूदृधारक होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अन्य तथ्य बरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 24 में किला नम्बर 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता है मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1–10–11 में 0.02–0.02 बिस्वा प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को पत्थर लाईन के साथ स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 मे अंकित तथ स्वीकार नही है, अप्रार्थीया की कृषि भूमि पर रास्ता नही है एवं ना ही प्रार्थी को रास्ता के आवश्यकता है। इस सम्बन्ध मे तहसीलदार (राजस्व) की रिपोर्ट से स्पष्ट है, अवलोकन फरमाया जावे। तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता ही नही है और ना ही मुझ अप्रार्थीया की कृषि भूमि पर रास्ता चल रहा है। प्रार्थी द्वारा मनघड़न्त तथ्य इस पैरा मे वर्णित किये गये है। प्रार्थी को अपना कृषि भूमि मे जाने के लिये अलग से रास्ता जो मौके पर चालू है। तहसीलदार गंगानगर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है जो मौका पर चल रहा है। इसलिये प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। मौका पर रास्ता चालू नही है एवं प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता नही है एवं प्रार्थी न्यूनतम दूरी के आधार पर रास्ता स्वीकृत नही करा सकता । इस सम्बन्ध मे नियम 61 से स्पष्ट है और तहसीलदार गंगानगर की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यूनतम दूरी एवं अपनी इच्छानुसार रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 मे अंकित कथन कानूनी है। अतिरिक्त कथनः –प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अनुतोष चाहा गया है कि मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1,10,11 मे दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे, परन्तु तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 25–08–2021 मे स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये किलाजात पर रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। इस सम्बन्ध मे धारा 251 (क) एवं नियम 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से स्पष्ट है कि तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक ही रास्ता स्वीकृत करवाया जा सकता है। प्रार्थी श्री भान न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आया है। इसलिये प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को खेत मे आने जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता है। इसलिये प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी किसी भी प्रकार से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:36:02 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त–1953 Sup. Court 235, Notification 251 tenency Act., 2019(2) RRT 1543, [Citation : 2017 DNJ(Revenue) 1], 2017 RRD pg 515, 2014(1) RRT 40, 2021 RBJ 276 पेश किये। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष की बहस प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का अभाव है, एवं प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 17 जैड. खाता संख्या 64/48 के मुरबा नम्बर 24 के किला नम्बर 1, 10, 11 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करे एंवम रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी की भूमि में से रास्ते हेतु ली गई भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के खाते में अंकन करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.09.2022 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:36:02 IST
Reason: SelfAttested